# प्रेस नोट दिनांक- 26.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

## थाना – कोतवाली नगर, जनपद – प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त-

दिनांक 19.07.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन रोड, सीताराम गली से पिकअप गाड़ी गायब हो जाने की सूचना वादी द्वारा दी गई। आस-पड़ोस में काफी खोजबीन के पश्चात भी वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चोरी की आशंका व्यक्त की गई है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 329/25 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूर्व में दिनांक 26/27.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत कारीघाट पुल से पूर्व ईशीपुर ढेकाही गांव जाने वाले मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियोग से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद तबसीर उर्फ मोहम्मद तफसीर पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी महमूदपुर ज्ञानीपुर थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान अभियुक्त पप्पू उर्फ मोहम्मद तौफिक मौके से फरार हो गया, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 346/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 कणाद मुनी व का0 नागेन्द्र खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 346/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त पप्पू उर्फ मो० तौफिक पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी श्रीनाथ पुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन पार्किंग प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
पप्पू उर्फ मो० तौफिक पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी श्रीनाथ पुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 कणाद मुनी व का0 नागेन्द्र खरवार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही – 1 किलो 140 ग्राम अवैध गाजा व गांजा बिक्री के 320 रूपये नगद, 01 अदद साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार – थाना लीलापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का हरेन्द्र सिंह, कां0 विनय कुमार व का० प्रमेश यादव द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का हरेन्द्र सिंह, कां0 विनय कुमार व का० प्रमेश यादव द्वारा क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज सगरासुन्दरपुर रोड पर पुलिस चौकी तिराहे ग्राम डीहमेंहदी बाबूगंज से के पास दबिश देकर अभियुक्त रवि कुमार मिश्रा पुत्र स्व० चन्दिका प्रसाद मिश्रा नि० ग्राम चन्दापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम अवैध गाजा व गांजा बिक्री के 320 रूपये नगद, 01 अदद साइकिल बरामद की गई। जिसके संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 293/2025 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं आप लोगो को देखकर डर गया था, इसलिए मै भागने लगा कि आप लोगो ने पकड़ लिया। अपनी साइकिल में टंगे झोले के मुंह को पकड़े है कुछ संदिग्ध वस्तु जानकर और कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बता रहा है कि अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है ये जो झोला है उसमें नाजायज गांजा है। पकड़े गये ब्यक्ति के पास नाजायज गांजा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. रवि कुमार मिश्रा पुत्र स्व० चन्दिका प्रसाद मिश्रा नि० ग्राम चन्दापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम अवैध गाजा व गांजा बिक्री के 320 रूपये नगद, 01 अदद साइकिल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का हरेन्द्र सिंह, कां0 विनय कुमार व का० प्रमेश यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

"जनपद में नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"

श्री दीपक भूकर
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़